(ङ.) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) क्रय सलाहकार समिति में अध्यक्ष सहित आठ सदस्य शामिल हैं । अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य (क्रम सं० 1–5) उनके द्वारा धारित पदों की हैसियत से नियुक्त किए जाते हैं तथा शेष तीन (क्रम सं० 6–8') सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकों सहित यूनानी चिकित्सक हैं जैसा कि निम्नलिखित संगठन में देखा जा सकता है :–

(1) अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , मुख्यालय)	अध्यक्ष
(2) अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, एम०एस०डी०)	सदस्य
(3) अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सी० जैड)	सदस्य
(4) सलाहकार (यूनानी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(5) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मैडिकल स्टोर डिपो)	सदस्य सचिव
(6) तकनीकी सदस्य	
(7) तकनीकी सदस्य	
(8) तकनीकी सदस्य	

(घ) जी हां ।

(ङ.) डा० एम० शामून यूनानी चिकित्सक के क्रय सलाहकार समितियों में उनका नाम शामिल न किए जाने के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई थी ।

(च) चूंकि डा० शामून दो वर्ष तक सदस्य रहे थे इसलिए उनकी आपत्ति मान्य नहीं थी ।

चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिलों के संबंध में नए दिशानिर्देश

5656. **मौलना अबदुल्ला खान आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिलों और शुल्क के संबंध में सरकार द्वारा नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के दिशानिर्देश कब जारी किए गए हैं ; और उनका क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इन दिशानिर्देशों की कडाई से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (घ) सरकार प्राइवेट व्यावसायिक कालेजों में दाखिलों और शुल्क को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों पर सक्रियता पूर्वक विचार कर रही है।